इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जून 2013—ज्येष्ठ 27, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-12: मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत</u>
<u>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं</u>

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.1 (अ)	राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रु. 1.00 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.1 (ब)	राज्य बीमारी सहायता निधि के रु. 1.00 लाख से अधिक और रु. 2.00 लाख तक के प्रकरण संभाग स्तर से स्वीकृत किया जाना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	20 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं
12.2	विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना.	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
12.3	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना	(अ) **<u>जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिये</u>** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) **<u>जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर</u>** विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	7 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
12.4	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण	**<u>जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र</u>** सिविल सर्जन	30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
		<u>शेष क्षेत्र</u> विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला टीकाकरण अधिकारी	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
12.5	आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन	सिविल सर्जन	30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(इकबाल सिंह बैंस)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.